बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः- 4675101 / पटना, दिनांक :- 06.10.2025

ग्रा0वि0-R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)

श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के विरूद्ध सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना में रूचि नहीं लेने, सरकारी कार्यों में घोर लापरवाही बरतने, जिला पदाधिकारी द्वारा आहूत बैठक में ससमय प्रतिवेदन के साथ उपस्थित नहीं रहने, ससमय किसी मामले में प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने, पंचायत आम निर्वाचन-2021 में स्वेच्छाचारिता बरतने तथा जिला प्रशासन, नवादा की छवि धूमिल करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-724 दिनांक-03.05.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री मिश्रा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1004952 दिनांक-16.06.2022 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । पुनः विभागीय संकल्प संख्या-1407720 दिनांक-01.12.2022 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2259166 दिनांक-07.11.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मिश्रा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री अमरेश कुमार मिश्रा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्रा द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मिश्रा द्वारा लिखित रूप में समर्पित अभ्यावेदन में विभागीय निदेश के आलोक में तार्किक जवाब नहीं दिया गया है । इनके अभ्यावेदन में अंकित तथ्य से अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत **चेतावनी** का दंड दिया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री अमरेश कुमार मिश्रा के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.10.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-22.doc

Gopal

ज्ञापांक:- 4675101 / पटना, दिनांक :- 06.10.2025

ग्रा०वि०- R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4675101 / पटना, दिनांक :- 06.10.2025

ग्रा०वि०- R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा एवं सुपौल/ उप विकास आयुक्त, नवादा एवं सुपौल /कोषागार पदाधिकारी, नवादा एवं सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल)/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4675101 / पटना, दिनांक :- 06.10.2025

ग्रा०वि०- R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-22.doc

Gopal